

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या- 01 /2021/ 22/अस्सी-2-2021-100(11)/2020
लखनऊ दिनांक 04 फरवरी ,2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 7-घ की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचना संख्या-04/2020/204/अस्सी-2-2020-100(11)/2020, दिनांक 15जून,2020 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, शब्द "मूल्यानुसार दो प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "मूल्यानुसार एक प्रतिशत की दर से " रख दिये जायेंगे।

डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-01 /2021/ 22/अस्सी-2-2021-100(11)/2020 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित दिनांक 04 फरवरी,2021 के आगामी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
2. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, 30प्र0।
3. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, 30प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

समर बहादुर
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Krishi Vipran Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.-01/2021/22/Eighty-2-2021-100(11)/2020 dated 04 February, 2021

NOTIFICATION

No.- 01 /2021/22 /Eighty-2-2021-100 (11) / 2020

Lucknow, Dated 04 February, 2021

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 7 D of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act No. XXV of 1964) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Notification No.-04/2020/204/Eighty-2-2020-100(11)/2020 dated 15 June, 2020: -

Amendment

In the aforesaid notification, in place of the words " **at the rate of two percent *ad valorem***" the words "**at the rate of one percent *ad valorem***" will be substituted.

By order

Dr. DEVESH CHATURVEDI
Additional Chief Secretary

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।